



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम-मिनिरल कम्पनी)

(CIN : U74899DL1963GOI003913)

केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़

जिला — श्रीगंगानगर (राज0)

दूरभाष : 01509.220084, 220006, 221420,

मुख्यालय — बीज भवन, पूसा परिसर,

नई दिल्ली-12

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(A Government of India Undertaking)

(CIN : U74899DL1963GOI003913)

Central State Farm, Suratgarh

Website: www.indiaseeds.com

PHONES : 01509-220084, 220006, 221420,

E-mail - csf.suratgarh@indiaseeds.com

H.O. : Beej Bhawan, Pusa complex, New Delhi -12



क्र: सी.एस.एफ./एस.ओ.जी./कृषि/2-10/फोडर/2024

दिनांक: 14.10.2024

निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़, श्रीगंगानगर में खरीफ 2024-25 में बोई गयी धान फसल की कटाई के बाद पराली की गाँठ (bale) बनाकर ले जाने हेतु कुल 524.50 एकड़ एरिया के लिये इच्छुक व्यक्तियों/पार्टियों से सीलबंद ऑफलाईन निविदाएँ दिनांक 29.10.2024 को दोपहर 01:00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं जो कि उसी दिन दोपहर 03:00 बजे मुख्यालय, सूरतगढ़ में खोली जायेंगी | निविदा में भाग लेने से पहले NEFT/RTGS या अन्य ऑनलाईन माध्यम से निविदा फॉर्म शुल्क रुपये 236/- और धरोहर राशि रु. 10,000/- मात्र प्रत्येक चक के हिसाब से (जो कि **राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सूरतगढ़** के नाम देय हो) फार्म खाते में जमा करवाने होंगे | निविदादाताओं को अपने स्थायी पते के साक्ष्य हेतु आधार कार्ड, पैन कार्ड की प्रति देनी होगी | निविदा के विस्तृत विवरण, निविदा प्रपत्र व कार्य की नियम-शर्तें निगम की वेबसाइट www.indiaseeds.com पर देखी जा सकती है या किसी भी कार्य दिवस में सुबह 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है |

सहायक प्रबंधक (उत्पादन)

Check list for Technical Requirement of Tender

<u>Particulars</u>	<u>Details</u>
Copy of GST Registration (if any)	
Copy of Pan Card	
Copy of ID Proof i.e. Aadhaar Card/Driving License/Passport etc.	
Copy of Firm Letter Head (if any)	
Copy of Bank Passbook	

दिनांक: 29.10.2024

निविदा -प्रपत्र

श्रीमान फार्म प्रमुख
केन्द्रीय राज्य फार्म,
सूरतगढ़ (राज.)

खरीफ 2024-25 में बोई गयी धान फसल की कटाई के बाद पराली की गाँठ (bale) बनाकर ले जाने के लिये टेन्डर फॉर्म :-

क्र. सं.	खंड	चक संख्या	एरिया (एकड़ में)	दर प्रति एकड़ रुपयों में (फार्म को देने हैं)
1	1	38 STG	69.00	
2		40 STG	56.00	
3		42 STG	55.00	
4		44 STG	15.00	
5		BRP-1	29.00	
		Total	224.00	
1	2	33 PBN	117.00	
2		RPM-2	75.50	
		Total	192.50	
1	3	34 PBN	108.00	
		Total	108.00	
		Grand Total	524.50	

ठेकेदार के हस्ताक्षर

ठेकेदार का नाम व पता

.....

.....

मोबाईल नं.

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ (राजस्थान)

फार्म क्षेत्र में धान की गाँठ (bale) बनाने के लिये नियम व शर्तें

1. सफल निविदादाता को रु. 10,000/- मात्र प्रत्येक चक के लिये धरोहर राशि के रूप में व रु. 236/- निविदा प्रपत्र राशि के रूप में ऑनलाईन माध्यम से फार्म खाते में जमा करवाने होंगे ।
2. निविदादाताओं को अपने स्थायी पते के साक्ष्य हेतु आधार कार्ड, पैन कार्ड व बैंक पासबुक की छायाप्रति जिस पर आईएफएससी कोड अंकित हो, को निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करनी अनिवार्य है ।
3. सफल निविदादाता को कार्य आदेश जारी करने के तीन दिन के भीतर रुपये 10,000/- मात्र प्रत्येक चक के हिसाब से अमानत राशि के रूप में फार्म खाते में जमा करने होंगे । सफल निविदादाता के द्वारा जमा धरोहर राशि अमानत राशि के रूप में परिवर्तित कर दी जायेगी । जमा अमानत राशि को कार्य संतोषजनक ढंग से पूरा होने के बाद बिना ब्याज के लौटा दिया जायेगा । आवंटित क्षेत्र की 50 प्रतिशत राशि स्वीकृति आदेश जारी करने के तीन दिन के भीतर जमा करनी होगी, शेष 50 प्रतिशत राशि धान की bale बनाने का कार्य शुरू करने से पूर्व जमा करवानी होगी (यह स्थिति फार्म को दी जाने वाली राशि के संदर्भ में लागू होगी । जमा नहीं करवाने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी ।
4. असफल निविदादाता की राशि उसके बैंक खाते में जमा कर दी जायेगी ।
5. निविदादाता द्वारा दी गयी दर को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार पूर्ण रूप से फार्म का होगा ।
6. धान की गाँठ बनाने संबंधी सभी प्रकार की मशीनों व मजदूरों इत्यादि की व्यवस्था ठेकेदार को करनी होगी ।
7. धान की bale की ट्रॉली/ट्रक को फार्म क्षेत्र से बाहर ले जाने से पहले संबंधित चक इंचार्ज से गेट पास लेना होगा ।
8. ठेकेदार स्वयं गेटपास पर हस्ताक्षर करे अथवा अपने व्यक्ति को अधिकार पत्र दे जो कि गेटपास पर हस्ताक्षर करे । जिसकी प्रति फार्म ब्लॉक ऑफिस में bale शिफ्टिंग से पूर्व जमा करवाये ।

9. धान में bale बनाने का कार्य धान की कटाई के तुरंत बाद शुरू करना होगा तथा धान की कटाई के बाद 08 दिन में bale बनाकर कटाई किये गये क्षेत्र से bale को बाहर करना होगा | अन्यथा आगामी फसल की बिजाई को सही समय पर, उपलब्ध नमी को उपयोग करने के उद्देश्य से फार्म अपने स्तर पर crop residue/bale का निस्तारण करने में स्वतंत्र होगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी पार्टी की होगी व पार्टी को निस्तारण किये गये क्षेत्र के crop residue/bale की राशि वापस नहीं की जायेगी |
10. धान की bale बनाने व फार्म क्षेत्र से बाहर ले जाने का कार्य सुबह 08:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक करना होगा |
11. यदि ठेकेदार द्वारा टेन्डर की नियम-शर्तों की अवहेलना की जाती है या फार्म produce (उत्पादन) को नुकसान पहुंचाया जाता है या निश्चित कार्य समय सीमा में नहीं करने से रबी फसलों की बिजाई में देरी होती है या बिजाई के लिये नमी सूख जाती है, तो ठेकेदार का कार्य तुरंत प्रभाव से रोक दिया जायेगा, फार्म द्वारा जाँच के उपरांत यदि यह पाया गया की ठेकेदार या उसके श्रमिक की गलती के कारण फार्म को नुकसान पहुँचा है तब ठेकेदार की धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी व गलती की गंभीरता के अनुसार फार्म द्वारा जुर्माना लगाकर काली सूची में डाला जा सकता है |
12. यदि प्राकृतिक आपदा से bale में कोई नुकसान हुआ तो फार्म जिम्मेदार नहीं होगा |
13. यदि ठेकेदार कार्य बीच में छोड़ देता है तो उसकी bale बनाने हेतु जमा राशि तथा साथ ही अमानत राशि जब्त कर ली जायेगी |
14. कार्य चक इंचार्ज व उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार करना होगा | फसल का अंकित क्षेत्रफल आवश्यकतानुसार घटाया/बढ़ाया जा सकता है |
15. कार्य के दौरान ठेकेदार के द्वारा लगाये जाने वाले श्रमिकों के भुगतान की सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी, इसके लिये फार्म कतई जिम्मेदार नहीं होगा |
16. धान की bale बनाते समय यदि किसी श्रमिक के साथ कोई दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से ठेकेदार की होगी, इसमें फार्म किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा |
17. कार्य शुरू करने से पहले ठेकेदार को रु. 500/- का स्टाम्प पेपर अपने खर्चे से खरीदकर सभी शर्तों को वर्णित कर अपने हस्ताक्षर करके इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगा कि उसे सभी शर्तें मान्य हैं तथा उनके अनुसार ही कार्य करूंगा |

18. सभी प्रकार की वैधानिक देयता ठेकेदार की होगी | कार्य हेतु किसी भी प्रकार का कर या शुल्क यदि लागू होगा तो ठेकेदार द्वारा वहन किया जायेगा, फार्म लागू कर या शुल्क के भुगतान हेतु जिम्मेदार नहीं होगा |
19. अधूरा किया गया कार्य जो बीच में ही ठेकेदार द्वारा छोड़ा गया हो वह दूसरे ठेकेदार से करवाया जायेगा तथा इसके बारे में कार्य छोड़े गये ठेकेदार को उसकी जमा राशि का कोई भुगतान नहीं किया जायेगा तथा साथ में धरोहर राशि भी जब्त कर ली जायेगी |
20. फार्म के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के साथ यदि ठेकेदार या उसकी लेबर द्वारा गलत व्यवहार किया जाता है तो ऐसी स्थिति में फार्म प्रशासन का निर्णय अंतिम होगा |
21. फार्मों द्वारा भुगतान केवल RTGS/NEFT या अन्य ऑनलाईन माध्यम से फार्म खाते में जमा करना होगा | फार्म खाते का विवरण निम्न प्रकार है :-
Account No : 34056542572
IFSC Code : SBIN0007774
Name of Account holder: NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD SURATGARH
Bank Name : **State Bank of India, Suratgarh**
22. यदि किसी भी शर्त या मामले के कारण एनएससी और दूसरी पार्टी के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो दोनों पक्ष इस आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से हाल करने का विकल्प चुनेंगे | यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है, तो यह समय-समय पर संशोधित किये गये मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत मुद्दों को हल करने के लिये पार्टियों पर बाध्यकारी होगा | इस प्रावधान के तहत, दोनों पक्षों की सहमति से राष्ट्रीय बीज निगम के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक इस मुद्दे को हल करने के लिये एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करेंगे और दोनों पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा | कानून के न्यायालय में जाने से पहले पक्ष मध्यस्थता के माध्यम से इस विवाद को हल करने के लिये बाध्य होंगे | मध्यस्थता नई दिल्ली में और अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जायेगी | न्याय क्षेत्राधिकार दिल्ली की अदालत होगा |

निविदादाता के हस्ताक्षर